

कमिश्नर वाणिज्य कर ,उत्तर प्रदेश

उपस्थित:- श्री दीपक कुमार ,कमिश्नर वाणिज्य कर , उत्तर प्रदेश ।

प्रार्थी :- सर्वश्री इन्डेग रबर लि0,137 रावलपिन्डी गार्डन चिकम्बपुर
यू0पी0बार्डर ,गाजियाबाद ।

प्रा0प0सं0- 318/2008

प्रार्थी की ओर से- श्री परमेन्दर सिंह एकाउन्ट्स एण्ड फाइनेन्स मैनेजर ।

उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम,2008की धारा-59 के अन्तर्गतनिर्णय

1- प्रार्थी के द्वारा दिनांक 04-7-2008 को उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम,2008 की धारा-59 के अन्तर्गत एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया जिसमें **Precured Tread Rubber** पर कर की दर की जानकारी चाही गयी है।

2- धारा-59 के प्रार्थना पत्र पर सुनवाई हेतु श्री परमेन्दर सिंह एकाउन्ट्स एण्ड फाइनेन्स मैनेजर उपस्थित हुये व उन्होंने उक्त जानकारी देने का अनुरोध किया ।

4- मैंने व्यापारी के धारा-59 के प्रार्थना पत्र में उल्लिखित तथ्यों का अवलोकन किया। सर्वश्री वामशी रबर लि0,लखनऊ(प्रा0प0सं0-139/2008) में धारा-59 के अन्तर्गत आदेश दिनांक 10-6-08 में **Precured Tread Rubber** पर वैट अधिनियम की अनुसूची-2 के भाग-क के क्रमांक-110 के अधीन 4% की दर से करदेयता निर्धारित की गयी है । अतः **Precured Tread Rubber** पर 4% की दर से करदेयता है।

5- प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत धारा-59 के प्रार्थना पत्र में उल्लिखित प्रश्न का उत्तर उपरोक्तानुसार दिया जाता है।

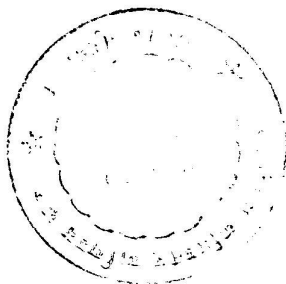
6- इस निर्णय की एक प्रति प्रार्थी को तथा एक प्रति सम्बन्धित कर निर्धारक अधिकारी को आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जाय।

दिनांक :: 18 ,सितम्बर,2008

ह0/18-9-08

(दीपक कुमार)

कमिश्नर वाणिज्य कर ,
उत्तर प्रदेश,लखनऊ।



प्रमाणित किया गया
वाणिज्य कर विभाग